प्रश्न सं. [क्र. 3293]

परिशिष्ट - 1

परिशिष्ट - 1

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) दमोह

क्रमांक / खनिज / 2019 / 215 दमोह, दि0 13/7/19

प्रति,

संभागीय प्रबंधक,
म0प्र0रोड डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लि0,
सागर म0प्र0

विषय– दमोह विधानसभा अन्तर्गत ग्राम जमुनिया में अवैध उत्खनन के संबंध में ।

संदर्भ – आपका पत्र क0 388 / एमपीआरडीसी वि0स0 / मा0स0 / 2019–20 सागर दिनांक 4 / 7 / 2019

एव

–00–

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, संदर्भित पत्र के विधानसभा तारांकित प्रश्न क0 3293 द्वारा श्री राहुल सिंह के संबंध में जानकारी चाही गई है जो बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या भीलमपुर से बालाकोट सडक निर्माण का ठेका दिलीप बिल्डिकॉन कंपनी को दिया गया था उक्त सडक में उपयोग के लिए कोई मुरम की खदान स्वीकृत है, यदि हॉं तो कहॉं और कौन से विभाग द्वारा स्वीकृति दी गई ?	भीलमपुर से बालाकोट सडक निर्माण का ठेका दिलीप बिल्डिकॉन कंपनी को दिया जाना इस कार्यालय से संबंधित नही है । कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेख अनुसार उक्त सडक के उपयोग के लिए कोई मुरम की खदान स्वीकृत नही है । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही नही उठता ।
(ख)	प्रश्न (क) अनुसार क्या वर्ष 1999 में काले पत्थर के उत्खनन के लिए उक्त अधिकारियों द्वारा बिना उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन फालो करते हुये प्रायवेट कम्पनी को लीज स्वीकृत कर दी । याचिकाकर्ता के द्वारा मामला एन0जी0टी0के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया । जिसमें कोर्ट के द्वारा स्पष्ट आदेश करके कहा था, कि दोनो अधिकारी शासकीय सेवा के दौरान वनविभाग की कोई भी डील साईन नही करेंगें तथा इस आदेश के परिपालन में तत्कालीन एसडीओ फारेस्ट को सेवा से पृथक कर दिया गया परन्तु श्रीनिवास शर्मा के विरूद्ध कार्यवाही नही करने के क्या कारण है ।	प्रश्नांश "क" के कम में प्रश्नांश "ख" में चाही गई जानकारी इस कार्यालय की निरंक है ।
(ग)	वर्ष 1999 में काले पत्थर के उत्खनन में प्राईवेट कम्पनी को जो लीज स्वीकृत की थी उस कम्पनी पर कोई कार्यवाही हुई, यदि हॉं तो क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही तो उक्त खदान की नपाई कर शासकीय राजस्व की हानि की भरपाई करायेगें ।	प्रश्नांश "क" के कम में जानकारी निरंक है ।
(घ)	वर्तमान सडक निर्माण में अवैध खदानो से मुरम जो का उत्खनन किया जा रहा है तो शासन को कितनी राजस्व की हानि हुई ? तो इसकी भरपाई कब और किन फर्मो से की जा रही है ? दोषी अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही की जावेगी ?	वर्ष 2018–19 से वर्तमान तक कुल 04 प्रकरण अवैध मुरम उत्खनन के दर्ज किये जाकर अर्थदण्ड की राशि 399750/– जमा कराई गई, है, राज्य सरकार की सडक निर्माण कार्यो हेतु मुरम पर रायल्टी देय नही है । अतः प्रश्न के संबंध में शेष जानकारी निरंक है ।

खनिज अधिकारी,
वास्ते–कलेक्टर,दमोह